



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 26 सितम्बर, 2005 ई0
आश्विन 04, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 560/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 26 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को दिनांक 06 जून, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 20, सन् 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2005
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 20, वर्ष 2005)

बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय, अधिनियम, 1887 का उत्तरांचल में
उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. (1) यह अधिनियम बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

धारा 19 की उपधारा
(2) में संशोधन

2. बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा-19 की
उपधारा (2) में-

“(2) शब्द ‘पच्चीस हजार’ के स्थान पर शब्द ‘एक लाख’ रख दिये जायेंगे।”

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts (Uttaranchal Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 20 of 2005) :

No. 560/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, September 26, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the President on 06-06-2005.

THE BENGAL, AGRA AND ASSAM CIVIL COURTS (UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT NO. 20 OF 2005)

AN

ACT

to amend the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 in its application to Uttaranchal.

It is HEREBY enacted in the Fifty-fifth year of the Republic of India as follows :--

Short title,
Extent and
Commence-
ment

1. (1) This Act may be called The Bengal, Agra and Assam Civil Courts (Uttaranchal Amendment) Act, 2005.

(2) It shall extend to the whole of Uttaranchal.

Amendment
of sub-
section (2)
of section
19

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In sub-section (2) of section 19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887--

“(2) Words ‘one lac’ for the words ‘twentyfive thousand’ shall be substituted.”

By Order,

U. C. DHYANI,
Sachiv.